निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 कार्तिक 1933 (शo)

(सं0 पटना 625) पटना, मंगलवार, 15 नवम्बर 2011

गन्ना उद्योग विभाग

———————

आदेश

29 सितम्बर 2011

सं0 2154—मे० तिरूपति सुगर्स लि०, बगहा, प० चम्पारण के लिए बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 की धारा 31(1) के अन्तर्गत ग्रामों का आरक्षण।

पेराई सत्र 2011–12 एवं आगे के वर्षो के लिए ईख आपूर्त्ति हेतु इस चीनी मिल द्वारा समर्पित आरक्षण प्रस्ताव पर दिनांक 30 अगस्त 2011 को सुनवाई हुई।

अपने क्षेत्र आरक्षण प्रस्ताव के संबंध में चीनी मिल प्रतिनिधि द्वारा यह कहा गया कि गत् वर्ष उनके लिए 302 ग्रामों का परम्परागत आरक्षित क्षेत्र गठित किया गया है। इस क्रम में चीनी मिल प्रतिनिधि द्वारा बताया कि उनके 40% ग्राम गंडक के दियारा क्षेत्र में है जहाँ निरंतर कटाव होता रहा है तथा उनके आरक्षित क्षेत्र में काफी संख्या में कोलहू–क्रशर भी चलतें हैं जहाँ से गन्ने का diversion होता है। उपरोक्त आलोक में आगामी पेराई सत्र में अपने चीनी मिल के गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके द्वारा लौरिया भाट क्षेत्र के 20 ग्राम तथा चनपटिया चीनी मिल क्षेत्र के 13 ग्रामों को अपने पक्ष में आरक्षित करने का अनुरोध किया गया।

चीनी मिल प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि गत् वर्ष उनकी पेराई क्षमता 3500TCD थी जिसे चालू पेराई सत्र में 6000TCD तक विस्तारित कर परिचालित किया जायेगा।

तिरूपति सुगर्स लि०, बगहा के उपरोक्त मांग पर लौरिया एवं हरिनगर चीनी मिलों के प्रतिनिधियों द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी। लौरिया चीनी मिल के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा लौरिया चीनी मिल को पुनर्जीवित कर वहाँ 3500TCD की नयी चीनी मिल लगायी गयी है। चालू पेराई सत्र से उनके द्वारा पेराई कार्य आरम्भ किया जायेगा। उन्हें पेराई हेतु समुचित मात्रा में गन्ना उपलब्ध नही है। भाट क्षेत्र के ग्राम उनके आरक्षित क्षेत्र से सटे हैं। अतः वे ग्राम उन्हें आरक्षित की जानी चाहिए।

हरिनगर चीनी मिल के प्रतिनिधि द्वारा भी आपत्ति व्यक्त की गयी तथा बताया गया कि उनकी पेराई क्षमता 10000TCD है तथा उनको भी पेराई हेतु गन्ने की काफी कमी है। उन्होंने बताया कि उनका एवं बगहा चीनी मिल का Cultivable Area लगभग समान है। लेकिन पेराई क्षमता में दो गुने का अन्तर है। उपरोक्त के आलोक में तिरूपति सुगर्स लि०, बगहा के लिए अतिरिक्त ग्रामों के आरक्षण पर उनके द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी।

सुनवाई के क्रम में विभागीय पदाधिकारियों के मंतव्य को सुना गया एवं क्षे०वि०परि० की अनुशंसाओं का भी अवलोकन किया गया जिस क्रम में यह परिलक्षित हुआ कि जिले की अन्य मिलें यथा हरिनगर, नरकटियागंज,

मझौलिया एवं लौरिया की तुलना में इस मिल को गन्ने की उपलब्धता अच्छी है एवं लगभग 60 हजार एकड़ में ईख का अच्छादन है जिसमें पेराई हेतु 66 लाख क्वींटल गन्ने की उपलब्धता संभावित है। इस मिल के साथ लगभग 1,95,000 एकड़ Cultivable Area है जिसमें आगे के वर्षो में सधन ईख विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से मिल में पेराई हेतु आवश्यक ईख की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है।

उपरोक्त के आलोक में बगहा चीनी मिल द्वारा मांगे गये भाट क्षेत्र के 20 ग्रामों एवं चनपटिया क्षेत्र के 13 ग्रामों के आरक्षण प्रस्ताव को व्यवहारिक नही होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश से,
विमलानन्द झा,
ईखायुक्त, बिहार, पटना।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 625-571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in